न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 41/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/61

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

लालसिंह पुत्र पाबुसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगडी
जाति राजपुरोहित जरिए मुख्त्यार
खास रूपसिंह पुत्र लालसिंह
जाति राजपुरोहित
निवासी तिरसिंगडी सोढा
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

1.अर्जुन पुत्र दुर्गा
2.इन्द्रभान पुत्र दुर्गा
3.कुन्दन गोदपुत्र मथलेशदेवी
4.कमलेश पुत्र भंवरलाल
5.कांतिलाल पुत्र सोहनलाल
6.गुलाबचंद पुत्र सोहनलाल
7.गोविंदराम पुत्र दुर्गा
8.चम्पालाल पुत्र फूलशंकर
9.छगनलाल पुत्र सोहनराज
10.जेठाराम पुत्र सोहनराज
11.दिव्या पुत्र भंवरलाल
12.धनराज पुत्र दुर्गा
13.पारसमल उर्फ पारसलाल गोदपुत्र रामलाल
14.बादली पत्नी पुखराज
15.बाबुलाल पुत्र दुर्गा के कायम मुकाम :–
15/1 कमल किशोर पुत्र बाबुलाल
15/2 चेतन कुमार पुत्र बाबुलाल
16.मुकेश पुत्र भंवरलाल
17.मदनलाल पुत्र पुखराज
18.मफतलाल पुत्र दुर्गा
19.लक्ष्मी नारायण पुत्र सोहनलाल
20.श्रवण कुमार पुत्र पुखराज
21.शारदाबैन पत्नी भंवरलाल
22.सुरेश पुत्र भंवरलाल
23.सीता पत्नी सोहनराज
24.हितेश पुत्र भंवरलाल जाति श्रीमाली
25.भीमसिंह पुत्र भगवतसिंह
26.मोहनसिंह पुत्र भगवतसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:13:05 IST
Reason: SelfAttested

27.सवाईसिंह पुत्र सूरतसिंह

28.हरीसिंह पुत्र भगवतसिंह

जाति राजपुरोहित

29. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल

30.नरपतलाल पुत्र मोहनलाल

31.बद्रीनारायण पुत्र मोहनलाल

जाति श्रीमाली

32.अणची पत्नी देवीसिंह

33.गंगादेवी पत्नी मगसिंह

34.जसराज पुत्र मूलसिंह के वारिसान

34/1 सवाईसिंह पुत्र जसराज

35.नैनसिंह पुत्र मूलसिंह

36.प्रेम कंवर पुत्री मगसिंह

37.मोतीसिंह पुत्र मगसिंह

38.रेखा पुत्री मगसिंह

39.सरूपसिंह पुत्र मूलसिंह

40.सुरेशसिंह पुत्र मगसिंह

41.हरकुदेवी पुत्री देवीसिंह जाति पुरोहित जरिए कुदरती वलीया माता अणची बैवा देवीसिंह जाति पुरोहित निवासी तिरसिंगडी सोढा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

42.राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय तिरसिंगडी सोढा जरिए प्रधानाध्यापक

43.ग्राम पंचायत नेवरी जरिए सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम नेवरी

44.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर व जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखाबंदी बाबत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:13:05 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 08.4.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसीगड़ी सोढा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 597/368 क्षेत्रफल 0.3804 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम तिरसीगडी सोढा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 597/368 क्षेत्रफल 0.3804 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसीगड़ी सोढा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 597/368 क्षेत्रफल 0.3804 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिरसीगड़ी सोढा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 597/368 क्षेत्रफल 0.3804 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तिरसीगड़ी सोढा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 597/368 क्षेत्रफल 0.3804 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी [illegible] पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन करने [illegible] विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी [illegible] लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए [illegible] यहां धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:13:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.1.2023 की प्रमाणित प्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी की ओर माननीय जिला न्यायालय बालोतरा को संबोधित अपील छायाप्रति,माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बालोतरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2015 की छायाप्रति व तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट छायाप्रति के अवलोकन से यह कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है,कि विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतःआवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम तिरसीगड़ी सोढा पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 597/368 क्षेत्रफल 0.3804 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(राजेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08.4.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:13:05 IST
Reason: SelfAttested